

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:-प.4(2)साप्र/2/2021

जयपुर, दिनांक : 19/7/21

—: आदेश :—

श्री मनीष शुक्ला, जनरल मैनेजर, राजस्थान स्टेट पावर फाइनेन्स एण्ड फाइनेंसियल सर्विस कॉ. लिमिटेड जयपुर को इस विभाग के आदेश दिनांक 06.06.2017 द्वारा राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानान्तर्गत वरीयता से द्वितीय श्रेणी का राजकीय आवास संख्या एन/27, गांधीनगर, जयपुर का आवंटन किया गया था।

श्री शुक्ला द्वारा जयपुर में दिनांक 15.03.2021 को निजी आवास खरीद लेने के कारण उनकी प्रार्थना पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 9(4)(III) के प्रावधानान्तर्गत उक्त राजकीय आवास संख्या एन/27, गांधीनगर में निजी आवास खरीद लेने की तिथि से साधारण किराया दर की तीन गुना दर पर निवास की अनुमति एतद्वारा प्रदान की जाती है। शेष शर्तें यथावत रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

४०

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
3. श्री मनीष शुक्ला, जनरल मैनेजर, राजस्थान स्टेट पावर फाइनेन्स एण्ड फाइनेंसियल सर्विस कॉ. लिमिटेड जयपुर।
4. जनरल मैनेजर, राजस्थान स्टेट पावर फाइनेन्स एण्ड फाइनेंसियल सर्विस कॉ. लिमिटेड जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटन के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
7. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
9. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
10. रक्षित पत्रावली।

19/7/21
डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल